[2020] 4 एस.सी.आर. 295
तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण
कंपनी लिमिटेड व अन्य
बनाम
मिस० श्रिग्धा बेवरेजेज
(दीवानी अपील संख्या– 1815/2020) 01 जून, 2020

[संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ,न्यायमूर्ति]

विद्युत: विद्युत बकाये– पूर्व स्वामी के विद्युत बकाये के भुगतान के लिये नीलाम क्रेता का दायित्व–वर्तमान मामले में नीलाम नोटिस स्पष्ट रूप से यह अभिकथित करती है कि बेची गयी यूनिट जैसा है जहाँ है और बिना किसी बचाव आधार के है तथा यह कि प्राधिकृत अधिकारी जो नीलाम क्रेता है विद्युत बकाये, सम्पत्ति बकाये, भार, धारणा अधिकार, कोई शुल्क के लिये दायित्व स्वयं उठाता है– नीलाम क्रेता जो अपीलकर्ता विद्युत विभाग है, चालू यूनिट के लिये कनेक्शन की मंजूरी के लिये, जिसे कि इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पूर्व विद्युत बकाया है, लागू होता है–आन्ध्र प्रदेश में फुटकर आपूर्ति लाइसेंसी और आपूर्ति वितरण के सामान्य नियम और शर्तों के 8.4 व 5.9.6. के उपबन्ध के आधार पर नये क्रेता से बकाये वसूली का अधिकार विद्युत विभाग स्वीकार करता है– अवधारित: चूंकि नीलामी नोटिस में विद्युत बकाये की मौजूदगी विनिर्दिष्ट रूप से नये क्रेता के दायित्व के रूप में उल्लिखित थी और यह भी कि विक्रय जैसा है जहाँ है, क्या है और बिना किसी बचाव के आधार के है, विद्युत विभाग का उत्तरदाताक्रेता से पूर्व स्वामी के बकाये मांग के अधिकार के संबंध में, बिल्कुल सही है।

विद्युत : विद्युत बकाये, विद्युत अधिनियम 2003 सपठित आपूर्तिक सामान्य नियम व शर्तों के अंतर्गत सांविधिक बकाये की प्रकृति का है,– इसलिये वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं परितक्त्य नहीं किये जा सकते। विशेष रूप से विद्युत अधिनियम 2003 (विद्युत अधिनियम 1910 की धारा–24 के मानक में) की धारा–56 के अंतर्गत और विशिष्ट रूप से संविदा की प्रकृति के बकाये नहीं हो सकती।

अपील स्वीकार की जाती है, न्यायालय ने अवधारित किया–

1.1 विद्युत बकाये जहां वे विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक प्रकृति के हैं और आपूर्ति के नियम व शर्तों के अनुसार अधिनियम के दृष्टिकोण में विशेष रूप से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 24 के मानक में तथा विशिष्ट रूप से संविदा प्रकृति के बकाये की प्रकृति में नहीं है।) परितक्त्य नहीं की जा सकती। [पैरा 15 ए] [303–एफ]

2.2 जहाँ प्रस्तुत मामले में ई–नीलाम नोटिस विवाद में है विद्युत बकाये की मौजूदगी चाहे मात्रा निर्धारित हो या न हो क्रेता के दायित्व के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है और विक्रय जैसा है जहां है क्या है तथा बिना बचाव आधार के है, वहां संदेह नहीं है कि विद्युत बकाये के भुगतान का दायित्व उत्तरदाता (क्रेता) का है। [पैरा 15 बी] [303–जी; 304–ए–बी]

हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य (1998) 4 एस.सी.सी 470: [1998] 2 एस.सी.आर 620 – अनुसरित।

दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम पैरामाउंट पॉलिमर्स (पी) लिमिटेड (2006) 13 एस.सी.सी. 101: [2006] 7 अनुपूरक एस.सी.आर. 635; पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड व अन्य बनाम डी.वी.एस. स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड व अन्य (2009) 1 एस.सी.सी. 210: [2008] 15 एस.सी.आर. 766–पर आधारित।

ईशा मार्बल्स बनाम बिहार राज्य बिजली बोर्ड व अन्य। (1995) 2 एस.सी.सी. 648: [1995] 1 एस.सी.आर. 847; हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हनुमान चावल मिल्स, धनौरी और व अन्य (2010) 9 एस.सी.सी. 145: [2010] 10 एस.सी.आर. 217 – मत भिन्नता।

दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी तेलंगाना लिमिटेड (सी.एम.डी. की ओर से) व अन्य बनाम गोपाल अग्रवाल व अन्य (2018) 12 एस.सी.सी. 644; विशेष अधिकारी वाणिज्य, उत्तरी पूर्वी विद्युत आपूर्ति

कंपनी उड़ीसा (नेस्को) बनाम रघुनाथ पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य (2012) 13 एस.सी.सी. 479: [2012] 13 एस.सी.आर. 71–संदर्भित ।

विधि वाद संदर्भ [1995] 1 एस.सी.आर. 847 मतभिन्नता पैरा 7 (2018) 12 एस.सी.सी. 644 संदर्भित पैरा 7 [1998] 2 एस.सी.आर. 620 अनुसरित पैरा 9 तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड बनाम श्रिग्धा बेवरेजेस,

[2006] 7 अनुपूरक एस.सी.आर. 635 पैरा 10 पर आधारित।

[2008] 15 एस.सी.आर. 766 पैरा 12 पर आधारित।

[2010] 10 एस.सी.आर. 217 पैरा 14 मतभिन्नता।

[2012] 13 एस.सी.आर. 71 पैरा 14 संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः– सिविल अपील संख्या– 1815/2020

रिट अपील संख्या–298/2018 आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के उच्च न्यायालय हैदराबाद के आदेश व निर्णय दिनांकित 30.04.2018 से।

पी.एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ सलाहकार, मो० बंदे अली व राकेश के. शर्मा, अपीलकर्ता के लिये अधिवक्ता।

सुश्री फिल्जा मूनिस, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बिरपानेनी, मो. वसी खान व भरत जे. जोशी, उत्तरदाता के लिये अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशुल कौल द्वारा उद्घोषित किया गया।

1. उत्तरदाता मिस एस०बी० बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली इकाई का नीलामक्रेता है जो कि अपने बकायों का भुगतान करने में असफल रही, परिणामतः सिंडिकेट बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा नीलामी में अंतर्गत प्रतिभूतिकरण व पुर्नस्थापन वित्तीय सम्पत्ति तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (एस०ए०आर०एफ०ए०ई०एस०आई० एक्ट' के रूप में संदर्भित) विधिक का मुख्य बिन्दु जो प्रतिफल/विचार के लिये उत्पन्न हुयी है कि क्या अंतिम स्वामी के पूर्व बकाये को उत्तरदाता चुका सकेगा।

2. विवादित इकाई एक मिनरल वाटर बॉटलिंग योजना है जो रामपल्ली गांव कीसरा मंडल जिला मेडचल के क्रम संख्या–283 में तेरह एकड़ भूमि पर स्थित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। ऋण चुकाने में विफलता के कारण, ऋणदाता, सिंडिकेट बैंक, संपत्ति को नीलामी में लाया जिसके लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस दिनांक 25.5.2017 जारी किया गया था, जिसमें उत्तरदाता सफल नीलामी क्रेता था। हमारे समक्ष मौजूद विवाद को समझने के लिए नीलामी नोटिस के कुछ प्रासंगिक खंडों को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है:

"नीचे वर्णित संपत्ति विक्रय की गयी है इस आधार पर कि "जैसा है जहां है जो भी है और बिना किसी बचाव आधार के है" अंतर्गत नियम 8 और 9 सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम (संदर्भित नियमों नीचे व्रणित बकायों की वसूली के लिये):

कुल 13,97,26,258.77 रुपये (तेरह करोड़ सत्तानबे लाख छब्बीस हजार दो सौ अट्ठाईस) रुपये बकाया तथा (260258.17 पैसा दिनांक 30.04.2017 को) भविष्य के ब्याज और लागत के साथ भुगतान की तारीख खाता संख्या– 1) 3730SLB140940002 और 2) 30151010006439

संपत्ति संख्या 01 के लिये विवरण शून्य

संपत्ति संख्या 02 के लिए भार: हमारे एम.ओ.डी. के बाद, ई.सी. में निम्न लिखित सम्व्यवहार अवलोकित किये गये जैसा कि जानकारी है।

1– दस्तावेज़ संख्या 2611/2016 दिनांक 15/06/2016 के अनुसार, बंधकदार बैंक ने 540 वर्ग गज की सीमा तक सम्पत्ति विक्रय कर दिया। प्राइवेट पक्षकार को रूपया 9,72,000/– के मूल्य/प्रतिफल के लिये।

2– दस्तावेज़ संख्या 657/2015 दिनांक 05/02/2015 के अनुसार, बंधकदार ने 620.83 वर्ग गज की सीमा तक संपत्ति कार्यकारी अधिकारी रामापल्ली ग्रामपंचायत को रु. 1242000/– रूपये के मूल्य के लिये विक्रय कर दिया।

3– दस्तावेज़ संख्या 2721/2014 दिनांक 05/08/2014 के अनुसार, बंधकदार ने 204.75 वर्ग गज की संपत्ति ग्रामपंचायत रामपल्ली के कार्यकारी अधिकारी को 248000/– रुपये के मूल्य के लिये विक्रय कर दिया। स्थानीय सरकार के (सम्पत्ति कर, जल सिवरेज, बिजली कर आदि) के बकाये रूपये 83,17,152/– (तिरासी लाख सत्रह हजार एक सौ बावन) रूपये मशीनरी वस्तु की सुरक्षित कीमत का 28 नंबर कुल 3,25,28,000 /– (तीन करोड़ पच्चीस लाख अट्ठाईस हजार)

नियम और शर्तें

तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड बनाम मिस श्रिग्धा बेवरेजेज (संजय किशुन कौल, न्यायमूर्ति)

21. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति स्टांप ड्यूटी शुल्क जिसमें सम्मिलित है विक्रय प्रमाण पत्र, पंजीकरण शुल्क, सभी संविधिक बकाया, जो केन्द्र/राज्य सरकार को सम्पत्ति से सम्बन्धित भविष्य व वर्तमान दोनों तरह के कर व दरें भुगतान योग्य हैं, को वहन करता है।

24. संपत्ति "जैसा है जहां है, जो भी है और बिना किसी बचाव आधार के है" सभी के सम्बन्ध में और सांविधिक बकायों के अधीन यदि कोई हो, विक्रय ही है। आशयित बोली लगाने वाले व्यक्ति को बैंक के शुल्कों के अलावा, सम्पत्तियों पर किसी भी दावे शुल्क/बाधाओं के संबंध में अलग–अलग पूंछतांछ करनी चाहिये और अपनी बोली जमा करने से पहले सम्पत्ति के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। संपत्ति में किसी भी विसंगति के लिए भाग लेने वाला बोलीदाता बोली जमा करने की तारीख से भविष्य के सभी उपायों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

25. बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संपत्ति पर शुल्क/बाधाएं या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा, बोली जमा करने/बिक्री की पुष्टि के बाद विचार नहीं किया जाएगा।

26. प्राधिकृत अधिकारी बिक्री के तहत संपत्ति के संबंध में किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, बाधा, संपत्ति कर बकाया, बिजली बकाया आदि या सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3. उपरोक्त नीलामी नोटिस से पता चलता है कि यूनिट को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद संदर्भित) के नियम 8 और 9 के अनुसार "जैसा है जहां है, जो है वह है और बिना किसी बचाव के आधार पर" बेचा जा रहा था। (उक्त नियमों' के अनुसार)। ई–नीलामी बिक्री नोटिस के उपरोक्त खंड दर्शाते हैं कि कुल बकाया राशि बहुत अधिक थी, लेकिन निर्धारित आरक्षित मूल्य कम था, और सफल नीलामीकर्ता की वास्तविक बिक्री पर बकाया 9,18,65,000 रुपये था, जो लगभग रु. न्यूनतम आरक्षित मूल्य से .10 लाख अधिक। उपर्युक्त खंड 24 यह स्पष्ट करता है कि जब संदर्भ "जैसा है जहां है, जो है वह है और बिना किसी बचाव के आधार पर" बिक्री का है, तो यह "सभी मामलों में और वैधानिक बकाया के अधीन" है। यह खंड एक अन्य खंड 26 के अधीन था, जहां नीलामी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी ने खुद को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर बकाया, बिजली बकाया आदि के दायित्व से मुक्त कर दिया था। इसका उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि इसका समग्र अध्ययन किया जाए। इन सभी खंडों से कोई संदेह नहीं रह गया कि नीलामी नोटिस में एक आरक्षित मूल्य का प्रावधान किया गया था, जिसके लिए लगभग 10 लाख रुपये से अधिक की बोली लगाई गई थी, और बिजली के बकाया सहित शुल्क, ग्रहणाधिकार, बाधाओं की कुछ प्रकृति स्पष्ट रूप से बिक्री से परे थी, प्रतिफल का भुगतान किया गया।

4. हम अगली बार नीलामी के अनुसरण में दिनांक 29.9.2017 को निष्पादित बिक्री विलेख की ओर रुख कर सकते हैं, जिसमें बिक्री के लिए "सुरक्षित लेनदार को ज्ञात सभी बाधाओं से मुक्त" प्रदान किया गया था। विक्रेता द्वारा प्रतिवादी को "स्वामित्व में किसी भी दोष से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी, जिसमें वैधानिक देनदारियों करों की वसूली भी शामिल थी, साथ ही शीर्षक में ऐसे दोषों से उत्पन्न होने वाले मुकदमेबाजी खर्च भी शामिल थे।" इस प्रकार, यह क्षतिपूर्ति इस

खंड में उल्लिखित पहलुओं तक ही सीमित थी, लेकिन शीर्षक में दोषों से संबंधित थी, न कि बिजली बकाया जैसी अन्य देनदारियों से।

5. उत्तरदाता के लिए समस्या तब उत्पन्न हुई जब उसने बॉटलिंग प्लांट चलाने के लिए आवश्यक 500 के.वी.ए. कनेक्शन की मंजूरी के लिए अपीलकर्ता नंबर 1 को आवेदन दिया। इस अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि 26.10.2017 तक 50,47,715 रुपये का पिछला बिजली बकाया था। अपीलकर्ता नंबर 1 ने एपी में वितरण और खुदरा आपूर्ति लाइसेंसधारियों की आपूर्ति के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 5.9.6 और 8.4 के पढ़ने के आधार पर, नए खरीदार (यानी उत्तरदाता) से भी इस राशि को वसूलने के अपने अधिकार का दावा किया है। संक्षिप्त 'आपूर्ति के सामान्य नियम और शर्तें'), जो खंड यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

"5.9.6 समझौते की समाप्ति के बाद सर्विस लाइन को नष्ट करना: एलटी या एचटी समझौते की समाप्ति पर, कंपनी सर्विस लाइन को तोड़ने और सामग्री, मीटर, कट आउट आदि को हटाने की हकदार है। समझौते की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता को उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर उसी परिसर में आपूर्ति देने के उद्देश्य से एक नए आवेदक के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि पिछले सेवा कनेक्शन के खिलाफ कोई बकाया न हो।

“8.4 सेवा कनेक्शन का स्थानांतरण संपत्ति के विक्रेता को ऐसी संपत्ति बेचने से पहले कंपनी को सभी बकाया चुका देना चाहिए। यदि विक्रेता ने ऊपर उल्लिखित बकाए का भुगतान नहीं किया है, तो कंपनी पहले से मौजूद कनेक्शन के माध्यम से परिसर में बिजली की आपूर्ति करने से इनकार कर सकती है या कंपनी के सभी बकाया चुकाए जाने तक परिसर में नया कनेक्शन देने से इनकार कर सकती है।

6. हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त बकाया बिजली अधिनियम 2003 के तहत आपूर्ति के सामान्य नियमों और शर्तों के साथ पढ़े जाने वाले वैधानिक बकाया के चरित्र में शामिल है।

7. उत्तरदाता द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें इस तर्क के आधार पर इन मांगों को रद्द करने की मांग की गई थी कि बाद के खरीदार के रूप में, उत्तरदाता पिछले मालिक के बकाए के लिए जिम्मेदार नहीं था, और इसमें ईशा मार्बल्स बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य और तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी (इसके सीएमडी के माध्यम से) अन्य बनाम गोपाल अग्रवाल व अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया। इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलकर्ता नंबर 1 ने मांग को रद्द करने के निर्देश जारी करने के लिए राजी किया। इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष दायर अपील 1 (1995) 2 एस.सी.सी. 648 2 (2018) 12 एस.सी.सी. 644 भी 30.4.2018 को खारिज कर दी गई।

8. हमने उपरोक्त विवाद की रूपरेखा में प्रस्तुतियों की जांच की है, और इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि ईशा मार्बल्स के मामले में, बिक्री राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29(1) के अनुसरण में की गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह था कि बिजली बकाया या ऐसे अन्य बकाया के मुद्दे से विशेष रूप से निपटने वाला कोई खंड नहीं था, जैसा कि वर्तमान नीलामी नोटिस में है। इस न्यायालय ने बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 24 के संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बिजली अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत , उपभोक्ता का मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसे ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, और चूंकि बिजली बकाया का भुगतान करने का दायित्व है केवल उपभोक्ता पर ही लागू होता है, प्रासंगिक समय पर क्रेता उपभोक्ता नहीं था। यह भी कहा गया है कि बिजली की खपत के अभाव में, अगला खरीदार उपभोग शुल्क के लिए कोई वैधानिक बकाया होने के बिना केवल पुनः कनेक्शन की मांग कर रहा था। हमने दिनांक 15.11.2019 के आदेश में उत्तरदाता के विद्वान वकील से विशेष रूप से एक प्रश्न पूछा था कि क्या, जिन न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा करने की मांग की गई थी, उनके स्वरूप में 3 (सुप्रा) विशिष्ट खंड था वर्तमान ई–नीलामी बिक्री नोटिस के अनुसार खंड 26, जिसने प्राधिकृत अधिकारी को "बिजली बकाया" सहित विभिन्न बकाए से मुक्त कर दिया। उत्तरदाता द्वारा संदर्भित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, विचाराधीन मामलों में ऐसी कोई धारा नहीं थी।

9. हम यह भी देख सकते हैं कि बिजली बकाया के इस पहलू से निपटने के लिए बाद में न्यायिक घोषणाएँ हुई हैं। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि आपूर्ति के नियमों और शर्तों के

तहत बकाया वैधानिक बकाया की प्रकृति का हिस्सा है (हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड बनाम ए.पी. राज्य बिजली बोर्ड व अन्य 4)। केवल यह तथ्य कि प्रत्येक उपभोक्ता के साथ समझौते किए गए थे, केवल आपूर्ति के नियमों और शर्तों को उपभोक्ता के ध्यान में लाने के उद्देश्य को पूरा करता था, लेकिन देय राशि को पूरी तरह से संविदात्मक नहीं बनाता था।

10. हम दक्षिणी हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम पैरामाउंट पॉलिमर (पी) लिमिटेड, 54 (1998) 4 एस.सी.सी. 470 5 (2006) 13 एस.सी.सी. 101 (2 न्यायाधीशों की पीठ) में इस न्यायालय की टिप्पणियों से ताकत प्राप्त कर सकते हैं , जहां बिजली बकाया से संबंधित एक विशिष्ट खंड में वर्तमान मामले की तरह समानता थी। यह देखा गया कि ऐसे परिदृश्य में यदि कोई स्थानांतरित व्यक्ति सेवा कनेक्शन का आनंद लेना चाहता है, तो उसे आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा । बिजली और पुनर्कनेक्शन या नया कनेक्शन किसी ऐसे परिसर में नहीं दिया जाएगा जहां आपूर्तिकर्ता पर बकाया हो, जब तक कि उन्हें पहले से घोषित न किया गया हो।

11. हम यह भी देख सकते हैं कि एक नीलामी क्रेता के रूप में "जैसा है जहां है, जो कुछ है और बिना किसी बचाव के आधार पर" बोली लगाता है, उत्तरदाता ने परिसर का निरीक्षण किया होगा और सभी मामलों में बकाया राशि के बारे में पूछताछ की होगी। वर्तमान मामले के तथ्य, जैसा कि पूर्वोक्त निर्णय में है, चरित्र में अधिक स्पष्ट हैं क्योंकि इसमें बिजली बकाया सहित विभिन्न खातों की बकाया राशि की मात्रा का विशेष उल्लेख है। इस प्रकार, उत्तरदाता को इस संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था।

12. इसी तरह के खंड के मामले में भी यही दृष्टिकोण पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम वी.डी.वी.एस. स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 6 (2009) 1 एस.सी.सी. 210 (2 जज बेंच) में लिया गया है। देखा गया है कि यदि कोई वैधानिक नियम किसी कनेक्शन की मंजूरी या बिजली की आपूर्ति से संबंधित शर्तों को नियंत्रित करता है, तो वितरक ऐसे नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दे सकता है। जब तक ऐसे नियम और विनियम या नियम और शर्तें मनमाने और अनुचित न हों। बकाया राशि के भुगतान की शर्त को अपने आप में अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता।

13. हम हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बनाम हनुमान राइस मिल्स, धनौरी और अन्य, 7 में एक दिए गए परिदृश्य में थोड़ा विपरीत दृश्य देख सकते हैं , जहां बिक्री के नियमों और शर्तों में बिजली बकाया की लंबितता का उल्लेख नहीं किया गया था, और उन तथ्यों में यह माना गया है कि देय राशि को बाद के हस्तांतरणकर्ता को देने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

14. हम देख सकते हैं कि स्पेशल ऑफिसर, कॉमर्स, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा (एन.ई.एस.सी.ओ.) बनाम रघुनाथ पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 8 में पहली बार प्राप्त किए जाने वाले कनेक्शन के बीच अंतर किया गया था और एक पुनः संबंध. उस मामले में, पिछले मालिक से नीलामी–खरीदार को सेवा कनेक्शन के हस्तांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था, लेकिन वास्तव में, एक नए कनेक्शन का अनुरोध किया गया था। उसके नियमों के आलोक में, पिछला बकाया केवल पुनः कनेक्शन के मामले में ही चुकाया जाना था। इसलिए, उत्तरदाताओं को बिजली दायित्व से मुक्त माना गया। यह न्यायालय दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (इसके सी.एम.डी के माध्यम से) और अन्य में पाया कि तथ्य नेस्को वाद के समान थे, और उसी का अनुसरण किया गया।

15. हमने उपरोक्त निर्णयों पर विचार किया है क्योंकि हमारे सामने यह आग्रह किया गया था कि कनेक्शन प्राप्त करने वाले पिछले मालिकों के बकाया के दायित्व के पहलू पर कुछ अस्पष्टता है। तथ्यों में कुछ मतभेद हैं लेकिन, हमारे विचार में, एक स्पष्ट न्यायिक सोच उभर कर सामने आती है, जिस पर जोर देने की आवश्यकता है:

(क) विद्युत बकाया, जहाँ वे विद्युत अधिनियम के तहत वैधानिक हैं और आपूर्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार हैं, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर माफ नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 24 के अनुरूप में) और विशुद्ध रूप से संविदात्मक प्रकृति के बकाए के चरित्र में भाग नहीं ले सकते।

(ख). जहां, प्रश्न में ई–नीलामी नोटिस के मामलों में, बिजली बकाया का अस्तित्व, चाहे मात्रा निर्धारित हो या नहीं, विशेष रूप से क्रेता के दायित्व के रूप में उल्लेख किया गया है और बिक्री "जैसा है जहां है, जो कुछ भी है" पर है है और बिना संसाधन के आधार पर", इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बिजली बकाया का भुगतान करने का दायित्व प्रतिवादी (क्रेता) पर मौजूद है।

(ग) कनेक्शन या पुनः कनेक्शन पर बहस वर्तमान जैसे मामलों में मौजूद नहीं होगी जहां दोनों पहलू आपूर्ति के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 8.4 के अनुसार कवर किए गए हैं।

16. उपरोक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, जो सामने आई है, हमारा विचार है कि विवादित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, जबकि यह राय दिया गया कि अपीलकर्ता नंबर 1 बकाया राशि की मांग अंतिम मालिक उत्तरदाता–क्रेता से करने के अपने अधिकार में है।

17. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेगें।

देविका गुजराल, अपील स्वीकृत।

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2023.11.03 16:36:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur